

**Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Railways / Rail Mantralaya
(Railway Board)**

PC-VI No. 318/2013.
RBE No. 49/2013

No. F(E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23 .05.2013

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Travelling Allowance Rules – Amendment to rules
contained in Chapter 16 of Indian Railway
Establishment Code Vol.II (Second Reprint Edition), 2005.

Ref: Board's letter No. (i) F(E)I/2008/AL-28/14 dated
1.12.2008 and 23.04.2009, (ii) F(E)I/2008/AL-7/3
dated 3.10.08, (iii) E(P&A)II-2008/HRA-10 dated
12.9.2008 (iv) F(E)I/2008/AL-28/42 dated
19.8.2010, (v) F(E)I/2008/AL-28/15 dated 1.12.2008,
29.12.2010 & 8.3.2011, (vi) F(E)I/2011/AL-28/26 dated
01.09.2011 & 14.02.2012 (vii) F(E)I/2008/AL-7/2 dated
18.09.08 and F(E)I/89/AL-28/8 dated 2.11.1989

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the
Constitution of India, the President is pleased to direct that Rules 1602,
1603, 1606, 1607, 1611, 1612, 1613, 1616, 1625, 1634, 1636, 1641, 1643,
1644, 1645 and Rule 1686 contained in Chapter 16 – Travelling Allowance
Rules of Indian Railway Establishment Code, Vol.II (Second Reprint Edition)
2005, may be amended, as per Advance Correction Slip No. 60 enclosed
as Annexure.

2. Hindi version is enclosed.
3. Please acknowledge receipt.




(Sonali Chaturvedi)
Dy.Dir.Finance(Estt.)II
Railway Board.

DA: as above

No. F(E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23 .05.13

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222,
Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).




For Financial Commissioner/Railways.

Contd/...

No. F (E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23 .05.13

Copy forwarded to FA&CAO, All Indian Railways, Production Units etc.


(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt),
Railway Board.


No. F (E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23 .05.13

1. The G.M, N.F Railway(Const.), Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. FA&CAO, N.F. Railway (Const.), Central Railway (Const.) and Southern Railway(Const.)
3. The Director General and Ex.officio General Manager, RDSO/ Lucknow.
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
5. The CAO and FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara.
8. The CAO(Const.), MTP (R) / Mumbai.
9. The CAO, Rail Coach Factory, Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.
10. The CAO(Const.), MTP(R) /Chennai.
11. The Executive Director, CAMTECH/Gwalior-474020.
12. The Executive Director/ERP, Railway Board, Room No. 339A, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi.
13. The Chairman, RCT/Principal Bench, 13/15, Mall Road, Delhi.
14. The Chairman, Human Resources Reforms Committee, Railway Board, Room No. 325A, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi.
15. The Chairman,RRT, Chennai - 600008.
16. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.
17. The Managing Director, IRCON, IRFC, MRVC, IRWO, IRC&TC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
18. The Chairman -cum-Managing Director, KRC Limited, Rail Bhavan, New Delhi, Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/ New Delhi.
19. The Director(Movement) Railways/Kolkata.
20. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
21. The Joint Secretary, Iron & Steel, 3 Koilaghat Street/Kolkata.
22. The Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad, Jharkhand.
23. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
24. The Chairman,RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur,Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, and Trivandrum.
25. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways(Railway Board).
26. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
27. The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.

Contd.../-

28. The Editor, " Bharatiya Rail".
29. The Editor " Indian Railways".
30. Chairman, Rail India Technical and Economic Services Ltd. (RITES), RITES Bhavan, Plot No. 1, Sector-29, Gurgaon.
31. Chairman, Central Administrative Tribunal (CAT), 61/35, Copernicus Marg, New Delhi-1100 01.
32. Computerised Facilitation Counter, Room No.5, Near Gate No.1, Rail Bhavan, New Delhi.
33. The Managing Director, Rail Vikas Nigam Ltd., Plot No. 25, First Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110 066.
34. CAO(C), SEC Railway, Bilaspur-495004.
35. M/S. Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-1100 06.
36. Managing Director, Rail Tel Corporation of India Ltd., 10th Floor, Bank of Baroda Building 16, Sansad Marg, New Delhi.



(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt),
Railway Board.

No. F (E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23.05.13

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, FerozeShah Road, New Delhi (with 90 spares).



for Secretary, Railway Board.

No. F (E)I/2010/AL-28/36

New Delhi, dated 23.05.13

1. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
2. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
3. The President, Railway Board Class-II Officers' Association, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
4. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan (with 5 spares).
5. The President, Indian Railway Class II Officers' Association, Rail Nilayam, Secunderabad (with 5 spares).
6. General Secretary, Indian Railway Class II Officers Federation, Office of CE(Const.), N.E. Railway, Gorakhpur (with 5 spares).
7. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

Contd...../-

8. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
9. The General Secretary, All India RPF Association, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
10. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association Room No.7, Rail Bhavan, New Delhi - 110001.



(Sonali Chaturvedi)
Deputy Director, Finance (Estt.)
Railway Board.

Copy to:- PPS/PS/PAs to: CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG(RHS), DG(RPF), All Additional Members/ Advisors/ Executive Directors/ Directors, IG/RPF, IG/RPSF, JS, JS(G), JS(E), JS(P), JDF(E), JDE(N), JDE(P&A), JDE(L), JDE(W), DS(G), DDF(E)I, DDF(E)III, DDE(LR)I, DDE(LR)-II, DDE(Rep), US(Protocol) and DDE (R)II (with 2 spares).

Copy to: Cash-I, II & III, E(P&A)I & II, E(G), Budget, PG, PC-IV, V, & PC VI (50 spares) G(Acc.), F(E)II, F(E)III & F(E) Spl., O&M, E(Trg.), E(GR)I, E(GR)II, Sec.(E), Sec.(Spl.), Protocol Cell, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, II, III, E(GP), E(GC), Accounts-III, Code Revision Cell, E(Rep) & C&IS Branches, Railway Board.

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-II

(SECOND REPRINT EDITION), 2005.

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 60

Chapter 16 - Travelling Allowance Rules

Section No.1 - General

(1) Substitute the following in lieu of existing **Rule 1602 (1)**:

"Rule 1602 (1) - For the purpose of admissibility to Travelling Allowance, entitlement of Railway servants will be based on the Grade Pay drawn for those drawing Grade Pay upto Rs. 10,000 and pay drawn in Pay Band for those in Pay Scale of HAG and above.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008).

(2) **Rule 1603(1)** stands deleted.

(3) Substitute the following in lieu of existing **Rule 1603(2)**:

"Rule 1603 (2) - Non-Practicing Allowance will be reckoned as Basic Pay for computing Composite Transfer Grant".

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 1.12.2008).

Section IV - Conveyance Allowance

(1) Substitute the existing table under Rule 1606(4) with the following:

Average monthly travel on official duty	FIXED CONVEYANCE ALLOWANCE	
	For journeys by own motor car (in Rs.per month)	For journeys by other modes of conveyance (in Rs. Per month)
(1)	(2)	(3)
201-300 Kms	1120	370
301-450 Kms	1680	480
451-600 Kms	2070	640
601-800 Kms	2430	750
Above 800 Kms	3000	850

Note 1: The rates of fixed Conveyance Allowance shall automatically increase by 25% whenever Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)1/2008/AL-7/3 dt.3.10.08)

(2) "NOTE 1" & "NOTE 2" below Rule 1606(4) may be read as "NOTE 2" & "NOTE 3" respectively.

(3) In clause (a) below Railway Ministry's decision under Rule 1606, substitute the figure " `20/-" with the figure " `60/-".

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-7/2 dt. 18.09.2008)

Section V - Mileage Allowance

(1) Rule 1607 (5)

Substitute the following table in lieu of existing table under Rule-1607 (5):

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
(i) Officers drawing grade pay of Rs.10,000 and those in pay scale of HAG and above.	Actual fare by any type of public bus including air-conditioned bus OR At prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC Taxi OR At prescribed rates for Ordinary Taxi when the journey is actually performed by Ordinary Taxi/Own Car OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto-rickshaw, own scooter, motor cycle, moped etc.
(ii) Officers drawing grade pay of Rs.5400, Rs.6600, Rs.7600, Rs.8700 and Rs.8900.	Same as at (i) above with the exception that journeys by AC taxi will not be permissible
(iii) Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800.	Same as at (ii) above.
(iv) Officers drawing grade pay of Rs.2400 and above but less than Rs.4200.	Actual fare by any type of public bus other than air-conditioned bus. OR At prescribed rates for auto-rickshaw for journeys by auto-rickshaw/own scooter/motorcycle/moped etc.
(v) Officers drawing grade pay below Rs.2400.	Actual fare by ordinary public bus only OR At prescribed rates for auto-rickshaw/ own scooter/ motorcycle / moped etc.

- (2) Substitute the rates of Mileage Allowance mentioned at (i) & (ii) below the table under Rule 1607(5) with the following:
- (i) For journeys performed in own car / taxi : Rs.16 per Km
 - (ii) For journeys performed by auto-rickshaw: Rs. 8 per Km own scooter, etc.
- (3) In the first line of the Note-1 under Rule 1607 (5) substitute the words "pay less than Rs.6500/-" with "Grade Pay less than Rs.4200/-".
- (4) In the last line of the Note-2 under Rule 1607 (5) substitute the figure "60 paise" with "Rs.1.20".
- (5) The following note may be added as Note-4 below Rule 1607 (5):

"Note-4: The rate for Mileage allowance for road journey by taxi/own car/auto rickshaw/own scooter/tonga/cycle rickshaw/man-driven rickshaw/ bicycle/foot shall automatically increase by 25% whenever Dearness allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%."

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008 and 23.04.2009).

Section VI - Daily Allowance

- (1) Substitute the existing table in Rule 1611 with the following:

Grade Pay	Daily Allowance (per day)
Officers drawing grade pay of Rs.10,000/- and those in pay scales of HAG and above	Rs.520
Officers drawing grade pay of Rs.7600 to Rs.8900/-	Rs.460
Officers drawing grade pay of Rs.5400 to Rs.6600/-	Rs.400
Officers drawing grade pay of Rs.4200 to 4800/-	Rs.340
Officers drawing grade pay of below Rs.4200/-	Rs.210

Note: The rates of Daily Allowance shall automatically increase by 25% whenever Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008)

(2) **Rule 1612** & Note (1), (2) & (3) below Rule 1612 stand deleted.

(3) **Rule 1613** stands deleted.

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.9.2008 and F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008)

(4) **Rule 1616** stands deleted.

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.9.2008 and F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008)

Section No.VII - Travelling Allowance for Journeys on Tour

(1) **Rule 1625**

In the last line of the Note-2 under Rule 1625, substitute the word "pay" with "Grade Pay".

(2) **Rule 1634**

Substitute the following in lieu of existing Rule 1634.

"The entitlement for journeys by Sea or by River Steamer, on tour, is as follows:

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
Officers drawing grade pay of Rs.5400/- and above and those in pay scales of HAG and above	Highest Class
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	If there be two classes only on the steamer, the lower class
Officers drawing grade pay of Rs.2400 and Rs.2800	If there be two classes only on the steamer, the lower class If there be three classes, the middle or the second class If there be four classes, the third class
Officers drawing grade pay less than Rs.2400/-	The lowest class

Accommodation entitlements for travel between the mainland and the A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Islands by ships operated by the Shipping Corporation of India Limited will be as follows:

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
Officers drawing grade pay of Rs.5400 and above and those in pay scales of HAG and above	Deluxe Class
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	First/ 'A' Cabin Class
Officers drawing grade pay of Rs.2400 and Rs.2800	Second/ 'B' Cabin Class
Officers drawing grade pay less than Rs.2400	Bunk Class

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008)

- (3) Substitute the following in lieu of Sub-rule (7) of Rule 1636 as under :

Rule 1636 (7)

Railway officers in pay scale of Rs. 67000-79000 or above may travel at their discretion in Business or Club Class by air within the country on tour. Officers drawing Grade Pay of Rs.10,000/- may also travel by Business/Club Class with the approval of Competent Authority. Other officers and non-officials, who are authorized to travel by air within India at Government expense, shall be entitled to travel by Economy Class only where two classes of accommodation i.e., Economy Class and Business or Club class are available on the airlines.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14 dated 1.12.2008)

Section VIII - Journey at or near Headquarters.

- (1) In Rule 1641 (1), substitute the words "drawing a pay of not less than ₹ 3200/- per month, under Railway Services (Revised Pay) Rules, 1986" with " in Grade Pay Rs. 4600 (PB-2) & above and drawing pay not less than Rs. 18050 in the Pay Band (excluding Grade Pay) under Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008".

- (2) In Rule 1641 (2), substitute the words "Railway servants, gazetted or non-gazetted, drawing a pay of less than Rs.3200/- per month shall not be entitled to engage a taxi. They may be permitted to claim conveyance hire as follows:-" with "Railway servants not entitled to engage a taxi in terms of Rule 1641 (1) may be permitted to claim conveyance hire as follows:-"

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/42 dated 19.08.2010)

Section IX - Transfer Travelling Allowance

Rule 1643 (A) (1)

- (1) Substitute the following in lieu of the existing Rule 1643 (A)(1).

Journeys by Air:-

A Railway Officer holding a post in pay scale of Rs.67000-79000 and above may travel by air, at his discretion, to join the new HQs., on transfer. Officers in the grade pay of Rs 10,000/- may also be permitted to travel by air with the approval of Competent Authority, subject to exigency and where joining at transfer station has to be effected with immediate effect. The air fare will, however, be admissible for self only. No family member of any Railway servant is entitled to travel by air on transfer.

(Authority:Railway Board's letter No.F(E)I/2008/AL-28/15 dated 01.12.2008)

- (2) Substitute the following table in lieu of Rule 1643 (B) (2):

1643 (B) (2): Charges for transportation of personal effects between places connected by rail on transfer/retirement:

(i) If the transportation of personal effects is made by rail, the rates as under will be admissible for transporting personal effects from place of residence to the Railway Station at the Old headquarters and from Railway Station to the place of residence, at the new headquarters:

Grade Pay	Rate per km for transport by road (Rs.per.km)	
	X & Y class cities*	Z class cities*
Officers drawing grade pay of Rs.4200 and above and those in pay scale HAG and above	30.00 (Rs.0.005 per kg per km.)	18.00 (Rs.0.003 per kg. per km.)
Officers drawing grade pay of Rs.2800/-	15.00 (Rs.0.005 per kg per km.)	9.00 (Rs.0.003 per kg. per km.)
Officers drawing grade pay below Rs.2800	7.50 (Rs.0.005 per kg per km.)	4.60 (Rs.0.0031 per kg. per km.)

*As per classification of cities for the purpose of admissibility of House Rent Allowance.

The rates for transporting the entitled weight by Steamer will be equal to the prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by Shipping Corporation of India.

(Authority: Railway Board's letters No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 29.12.2010)

(ii) If the transportation of personal effects is made by road, reimbursement of actual expenditure by road limited to rates prescribed as in (i) above will be admissible.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2011/AL-28/26 dated 14.02.2012)

(3) The existing Note 1 & 2 below Rule 1643(B)(2) may be deleted and the following may be added as Note - 1 and 2.

Note-1: The higher rates of road mileage prescribed for 'X' and 'Y' class cities would be admissible for transfers within 'X' and 'Y' class cities; 'X' to 'Y' class cities and vice-versa; and from 'X'/'Y' class cities to 'Z' class cities and vice-versa. In all other cases of transfers within 'Z' class cities, the rates prescribed for 'Z' class cities shall be admissible.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 08.03.2011)

Note-2: The rates of transportation of personal effects as mentioned above shall automatically increase by 25% whenever Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.

(4) Add sub-rule B(3) below Rule 1643 (B) (2):

1643 (B) (3) : The rates of transportation of personal effects by road between places connected by rail/not connected by rail would be the rates as prescribed in the table in Rule 1643 (B) (2).

(Authority: Railway Board's letters No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 29.12.2010 & No. F(E)I/2011/AL-28/26 dated 01.09.2011 & 14.02.2012)

(5) The following may be added below existing Rule 1643(C):

Transportation of Conveyance on Transfer/settlement after retirement:

WHEN CONVEYANCE IS SENT UNDER ITS OWN PROPULSION

Between places connected by rail	Between places not connected by rail
Prescribed rates limited to expenditure on transportation by passenger train on rail.	Prescribed rates.*

WHEN CONVEYANCE IS SENT LOADED ON A TRUCK

Between places connected by rail	Between places not connected by rail
Actual expenses limited to prescribed rates or expenditure on transportation by passenger train on rail, whichever is less	Actual expenses limited to prescribed rates.*

*Prescribed rates means, the rates notified by the concerned Directorate of Transport, for taxi and auto rickshaw, at the starting point, subject to a maximum of Rs.20/- for taxi and Rs.10/- for auto rickshaw as prescribed/revised from time to time.

(Authority: Railway Board's letter No.F(E)I/2011/AL-28/26 dated 01.09.2011)

(6) Rule 1643 (D)(II)(a)

Item No.(ii) of the table under Rule 1643 (D)(II)(a) stands deleted.

(7) Note. 1 below Rule 1643 (D)(II)(a) stands deleted.

(8) Rule 1643 (D)(II)(b)

In the last line of Rule 1643 (D) (II) (b) delete the words "irrespective of his date of joining Railway service i.e. before, on or after 1.5.76".

(9) Rule 1643 (D)(III)(vi) stands deleted.

(10) Rule 1643 (D)(IV) Quantum of Advance.

Substitute Rule 1643 (D) IV (i) & (ii) with the following:-

"The quantum of advance admissible on transfer to a serving Railway employee is 75% of the admissible amount of Composite Transfer Grant."

- (11) Below Rule 1643 (D)(V) under Railway Ministry's Decisions,** the following may be substituted in lieu of the existing decision.

Transfer Travelling Allowance in cases, where both husband and wife are in Government service and are transferred within 60 days of his/her transfer from the same place to the same place, shall not be admissible to the spouse transferred later. In cases where the transfer takes place within six months, but after 60 days of the transfer of the spouse, fifty per cent of the Transfer Grant on transfer shall be allowed to the spouse transferred later. No transfer grant shall be admissible to the spouse transferred later, in case both the transfers are ordered within 60 days. The existing provisions shall continue to be applicable in case of transfer after a period of six months or more. Other rules precluding Transfer Grant in case of transfer at own request or transfer other than in public interest shall continue to apply unchanged in their case.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/15 dated 01.12.2008)

- (12) Rule 1644(1)** stands deleted.
- (13) Rule 1644(2)** and Note below **Rule 1644(2)** stands deleted.
- (14) In Rule 1644 (3),** substitute the words "Transfer Grant and Packing Allowance" with "Composite Transfer Grant".
- (15) Rule 1644(4)** stands deleted.
- (16) Rule 1645 I(b)** stands deleted.
- (17)** The following may be substituted in lieu of Note (i) below **Rule 1645-I-(c)**

NOTE (i) A Railway servant who has been transferred within the same station or to an outstation within 20 Kms. of the old headquarters, shall be granted Composite Transfer Grant at the rate of one-third of one month's basic pay, provided there is a change of residence, as a result of transfer.

- (18) Rule 1645 II (b)** may be substituted with the following in lieu of the existing rule:

(b) If there is a change of residence as a result of transfer, full transfer travelling allowance will be admissible if the distance between the two stations exceeds 20 Kms.

Section XXI - Journeys on a course of training

The existing sub-rule (2) of **Rule 1686** may be substituted by:

"The apprentices (whether mechanical or other categories) who are in receipt of the concession of free boarding and lodging at their headquarters may be allowed Travelling Allowance applicable to the category to which they are apprentices provided they are required to undertake such journeys as a part of their training and no free boarding is arranged for them."

(Authority: Board's letter No. F(E)I/89/AL-28/8 dated 2.11.89)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं.318/2013
आरबीई सं.49/2013

सं. एफ(ई)I/2010/एएल-28/36
महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)


नई दिल्ली, दिनांक 23 .05.2013

विषय: यात्रा भत्ता नियम - भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण), 2005 के अध्याय 16 में अंतर्विष्ट नियमों में संशोधन।

संदर्भ: बोर्ड का (i) दिनांक 1.12.2008 और 23.04.2009 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14, (ii) दिनांक 3.10.08 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-7/3, (iii) दिनांक 12.09.2008 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10, (iv) दिनांक 19.08.2010 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/42, (v) दिनांक 1.12.2008, 29.12.2010 एवं 8.03.2011 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15, (vi) दिनांक 01.09.2011 एवं 14.02.2012 का पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/26, (vii) दिनांक 18.09.08 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-7/2 और दिनांक 2.11.1989 का पत्र सं. एफ(ई)I/89/एएल-28/8

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण), 2005 के अध्याय 16 - यात्रा भत्ता नियम में अंतर्विष्ट नियम 1602, 1603, 1606, 1607, 1611, 1612, 1613, 1616, 1625, 1634, 1636, 1641, 1643, 1644, 1645 और नियम 1686 में अनुबंध के रूप संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 60 के अनुसार संशोधन किया जाए।

2. कृपया पायती दें।



(सोनाली चतुर्वेदी)

उप निदेशक, विल्ट (स्था) II
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II
(द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण), 2005
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 60

अध्याय 16 - यात्रा भत्ता नियम
अनुभाग सं. I - सामान्य

- (1) वर्तमान नियम 1602 (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:

नियम 1602 (1) - यात्रा भत्ते की हकदारी के प्रयोजनार्थ, रेल सेवकों की हकदारी 10,000 रुपये तक ग्रेड वेतन पर आहरित करने वालों के लिए ग्रेड वेतन, और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे ऊपर के वेतनमान में मौजूद रेल सेवकों हेतु वेतन बैंड में आहरित वेतन पर आधारित होगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14)

- (2) नियम 1603 (1) हटा दिया गया है।

- (3) वर्तमान नियम 1603 (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:

नियम 1603 (2) - संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के परिकलन के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ते को मूल वेतन के रूप में माना जाएगा।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

अनुभाग IV - सवारी भत्ता

- (1) नियम 1606 (4) के अंतर्गत वर्तमान सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:

सरकारी इयूटी पर औसत मासिक यात्रा	निर्धारित सवारी भत्ता	
	अपनी मोटरकार द्वारा यात्राओं के लिए (रुपये प्रति माह में)	सवारी के दूसरे साधनों द्वारा यात्राओं के लिए (रुपये प्रति माह में)
(1)	(2)	(3)
201 - 300 किलोमीटर	1120	370
301 - 450 किलोमीटर	1680	480
451 - 600 किलोमीटर	2070	640
601 - 800 किलोमीटर	2430	750
800 किलोमीटर से अधिक	3000	850

टिप्पणी 1 - जब कभी संशोधित वेतन संरचना पर संदेय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तब निर्धारित सवारी भत्ते की दरें स्वतः ही 25% तक बढ़ जाएंगी।

(प्राधिकार: दिनांक 03.10.08 का पत्र सं. एफ (ई)I/2008/एएल-7/3)

- (2) नियम 1606 (4) के नीचे "टिप्पणी 1" एवं "टिप्पणी 2" क्रमशः "टिप्पणी 2" एवं "टिप्पणी 3" के रूप में पठनीय होंगी।
- (3) नियम 1606 के अंतर्गत रेल मंत्रालय के विनिश्चय के नीचे खंड (क) में "20/-" के आंकड़े को "60/-" के आंकड़े द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

(प्राधिकार: दिनांक 18.09.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-7/2)

अनुभाग V - मील भत्ता

(1) नियम 1607 (5)

नियम - 1607 (5) के अंतर्गत वर्तमान सारणी को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

ग्रेड वेतन (1)	हकदारी (2)
(i) 10,000 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे अधिक के वेतनमान में अधिकारी	वातानुकूलित बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया। अथवा यदि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा वास्तव में यात्रा की गई हो, वातानुकूलित टैक्सी के लिए निर्धारित दर पर। अथवा यदि साधारण टैक्सी/स्वयं की कार द्वारा वास्तव में यात्रा की गई हो, साधारण टैक्सी के लिए निर्धारित दर पर। अथवा ऑटोरिक्शा, अपने स्वयं के स्कूटर/मोटरसाइकिल, मोपेड आदि द्वारा यात्राओं के लिए ऑटोरिक्शा के लिए निर्धारित दर पर।
(ii) 5400 रुपये, 6600 रुपये, 7600 रुपये, 8700 रुपये और 8900 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	उपर्युक्त (i) के अनुसार सिवाय इसके कि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
(iii) 4200 रुपये, 4600 रुपये और 4800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	उपर्युक्त (ii) के अनुसार।
(iv) 2400 रुपये और उससे अधिक लेकिन 4200 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	वातानुकूलित बस के अलावा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया अथवा ऑटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि द्वारा यात्रा हेतु ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दर पर।
(v) 2400 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	केवल साधारण सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया अथवा ऑटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि के लिए निर्धारित दर पर।

(2) नियम 1607 (5) के अंतर्गत सारणी के नीचे (i) और (ii) पर उल्लिखित मील भत्ते की दरों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:

- (i) स्वयं की कार/टैक्सी द्वारा की गई यात्रा हेतु : 16 रुपये प्रति किलोमीटर
(ii) ऑटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर आदि द्वारा की गई यात्रा हेतु : 8 रुपये प्रति किलोमीटर

(3) नियम 1607 (5) के अंतर्गत टिप्पणी-1 की पहली पंक्ति में "6500 रुपये से कम वेतन" शब्दों के स्थान पर "4200/- रुपये से कम ग्रेड वेतन" शब्द प्रतिस्थापित करें।

(4) नियम 1607 (5) के अंतर्गत टिप्पणी-2 की अंतिम पंक्ति में "60 पैसे" के आंकड़े के स्थान पर "1.20 रुपये" प्रतिस्थापित करें।

- (5) नियम 1607 (5) के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पणी को टिप्पणी-4 के रूप में प्रतिस्थापित करें:

टिप्पणी-4: जब कभी संशोधित वेतन संरचना पर संदेय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तब टैक्सी/स्वयं की कार/ऑटो रिक्शा/स्वयं के स्कूटर/तांगा/साइकिल रिक्शा/मानव चालित रिक्शा/साइकिल/पद द्वारा सड़क यात्रा के लिए मील भत्ते की दरें स्वतः ही 25% तक बढ़ जाएंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 एवं 23.04.2009 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14)

अनुभाग VI - दैनिक भत्ता

- (1) नियम 1611 के अंतर्गत वर्तमान सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:

ग्रेड वेतन	दैनिक भत्ता (प्रति दिन)
10,000 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी, और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे अधिक के वेतनमान में अधिकारी	520 रुपये
7600 रुपये से 8900 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	460 रुपये
5400 रुपये से 6600 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	400 रुपये
4200 रुपये से 4800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	340 रुपये
4200 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	210 रुपये

टिप्पणी - जब कभी संशोधित वेतन संरचना पर संदेय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तब दैनिक भत्ते की दरें स्वतः ही 25% तक बढ़ जाएंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/28/एएल-28/14)

- (2) नियम 1612 और उसके नीचे टिप्पणी (1), (2) एवं (3) को हटा दिया गया है।
(3) नियम 1613 को हटा दिया गया है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 12/9/2008 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एच आर ए-10 और दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14)

- (4) नियम 1616 हटा दिया गया है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 12/9/2008 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-2008/एच आर ए-10 और दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14)

अनुभाग 7 - दौरे के दौरान यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता

- (1) **नियम 1625**

नियम 1625 के अंतर्गत टिप्पणी-2 की अंतिम पंक्ति में "वेतन" शब्द के स्थान पर "ग्रेड वेतन" प्रतिस्थापित करें।

- (2) **नियम 1634**

वर्तमान नियम 1634 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें।

"दौरे पर समुद्री यात्रा या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए हकदारी नीचे लिखे अनुसार होगी:

ग्रेड वेतन (1)	हकदारी (2)
5400 रुपये तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी, और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे अधिक के वेतनमान में अधिकारी	उच्चतर श्रेणी
4200 रुपये, 4600 रुपये और 4800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	अगर स्टीमर पर केवल दो श्रेणी हैं तो निम्नतर श्रेणी
2400 रुपये और 2800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	अगर स्टीमर पर केवल दो श्रेणी हैं तो निम्नतर श्रेणी अगर उसमें तीन श्रेणी हैं तो मध्य या द्वितीय श्रेणी अगर उसमें चार श्रेणी हैं तो तृतीय श्रेणी
2400 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	निम्नतम श्रेणी

भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड द्वारा परिचालित जहाजों द्वारा महाद्वीप और अंडमान-नीकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह के बीच यात्रा हेतु स्थान की हकदारी नीचे लिखे अनुसार होगी:

ग्रेड वेतन (1)	हकदारी (2)
5400 रुपये तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी, और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे अधिक के वेतनमान में अधिकारी	डीलक्स श्रेणी
4200 रुपये, 4600 रुपये और 4800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	प्रथम/'ए' केबिन श्रेणी
2400 रुपये और 2800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	द्वितीय/'बी' केबिन श्रेणी
2400 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	शायिका श्रेणी

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14) ”

(3) नियम 1636 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें।

नियम 1636 (7)

67,000-79,000 रुपये अथवा इससे अधिक के वेतनमान वाले रेलवे अधिकारी दौरे पर देश के भीतर अपने विवेकानुसार वायुयान की बिजनेस या क्लब क्लास में यात्रा कर सकेंगे। 10,000/- रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर बिजनेस/क्लब क्लास में यात्रा कर सकते हैं। अन्य अधिकारी और गैर-सरकारी पदाधिकारी, जो भारत में सरकारी खर्च पर वायुमार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं, जहां एयरलाइंस पर ईकोनोमी क्लास और बिजनेस या क्लब क्लास दोनों उपलब्ध हैं, केवल ईकोनोमी क्लास में ही यात्रा करने के हकदार होंगे।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14)

अनुभाग 8 - मुख्यालय में या उसके निकट की यात्राएं

- (1) नियम 1641 (1) में, "रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986 के अंतर्गत 3200 रु. प्रतिमाह से कम वेतन न ले रहा हो" शब्दों के स्थान पर, "रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत 4600 रु. (वेतन बैंड-2) तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन ले रहा हो व वेतन बैंड में उसका 18050 से कम वेतन (ग्रेड वेतन को छोड़कर) न हो" शब्दों को प्रतिस्थापित करें।
- (2) नियम 1641 (2) में, "3200 रु. प्रतिमाह से कम वेतन लेने वाले रेल सेवक, राजपत्रित या अराजपत्रित टैक्सी किराये पर लेने के लिए हकदार नहीं होंगे, उन्हें निम्नानुसार सवारी किराये का दावा करने की अनुमति दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर, "नियम 1641 (1) के अनुसार जो रेल सेवक टैक्सी किराये पर लेने के लिए हकदार नहीं हैं, उन्हें निम्नानुसार सवारी किराये का दावा करने की अनुमति दी जाएगी" शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 19.08.2010 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/42)

अनुभाग 9 - स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

नियम 1643 (क)(1)

- (1) वर्तमान नियम 1643 (क)(1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें।

हवाई जहाज द्वारा यात्रा:-

67000-79000 तथा इससे अधिक के वेतनमान वाले पदों के रेल अधिकारी स्वयं अपने विवेक पर, नए मुख्यालय में स्थानांतरण पर कार्यभार संभालने के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकते हैं। 10,000/- रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी को भी, आकस्मिकता के अध्यक्षीन और जहां स्थानांतरण स्टेशन पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण करना है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ हवाई जहाज द्वारा यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। बहरहाल, हवाई जहाज का किराया केवल स्वयं के लिए स्वीकार्य होगा। रेल कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य स्थानांतरण पर हवाई यात्रा का हकदार नहीं होगा।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

- (2) नियम 1643 (ख) (2) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित करें:-

1643 (ख) (2): स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच निजी सामान के लिए परिवहन शुल्क:-

- (i) यदि रेल द्वारा निजी सामान का परिवहन किया जाता है तो पुराने मुख्यालय में निवास स्थान से रेलवे स्टेशन तक और नए मुख्यालय में रेलवे स्टेशन से निवास स्थान तक निजी सामान के परिवहन हेतु दरें निम्नानुसार होंगी:-

ग्रेड वेतन	सड़क द्वारा परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर (रु. प्रति किमी.)	
	एक्स एवं वाई श्रेणी के नगर*	जेड श्रेणी के नगर*
4200 रुपये तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी, और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड एवं उससे अधिक के वेतनमान में अधिकारी	30.00 (0.005 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)	18.00 (0.003 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)
2800 रुपये का ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	15.00 (0.005 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)	9.00 (0.003 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)
2800 रुपये से कम ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी	7.50 (0.005 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)	4.60 (0.0031 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)

*मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के प्रयोजनार्थ नगरों के वर्गीकरण के अनुसार

स्टीमर द्वारा पात्रता के अनुसार वजन के परिवहन हेतु दरें भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा परिचालित जहाजों में ऐसे परिवहन द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों के समान होंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.12.2010 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

- (ii) अगर निजी सामान का सड़क द्वारा परिवहन किया जाता है तो सड़क द्वारा वास्तविक व्यय की उपर्युक्त (i) में यथा निर्धारित दरों तक सीमित प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.02.2012 का पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/26)

- (3) नियम 1643(ख)(2) के नीचे वर्तमान टिप्पणी 1 एवं 2 को हटा दिया जाए और निम्नलिखित को टिप्पणी-1 एवं 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

टिप्पणी-1: 'एक्स' और 'वाई' श्रेणी के नगरों के अंदर; 'एक्स' से 'वाई' श्रेणी के नगरों को और विलोमतः; और 'एक्स'/'वाई' श्रेणी के नगरों से 'जेड' श्रेणी के नगरों एवं विलोमतः स्थानांतरण के लिए 'एक्स' और 'वाई' श्रेणी नगरों हेतु निर्धारित सड़क मील भत्ते की उच्चतर दरें स्वीकार्य होंगी। 'जेड' श्रेणी के नगरों के अंदर स्थानांतरण के अन्य सभी मामलों में, 'जेड' श्रेणी के नगरों हेतु निर्धारित दरें स्वीकार्य होंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.03.2011 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

टिप्पणी-2: जब कभी संशोधित वेतन संरचना पर संदेय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तब निजी सामान के परिवहन की यथोल्लिखित दरें स्वतः ही 25% तक बढ़ जाएंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

- (4) नियम 1643 (ख) (2) के नीचे उपनियम ख (3) को शामिल करें:

1643 (ख) (3): रेल द्वारा जुड़े/रेल द्वारा नहीं जुड़े स्थानों के बीच सड़क द्वारा निजी सामान के परिवहन की दरें नियम 1643 (ख) (2) में सारणी में यथानिर्धारित दरें होंगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.12.2010 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15 और दिनांक 01.09.2011 एवं 14.02.2012 का एफ(ई)I/2011/एएल-28/26)

- (5) वर्तमान नियम 1643 (ग) के नीचे निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

स्थानांतरण/सेवानियुक्ति पश्चात बसने पर वाहन का परिवहन:

जब वाहन स्वयं उसके नोदन द्वारा भेजा जाता है

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच	रेल द्वारा नहीं जुड़े स्थानों के बीच
रेल पर पैसंजर रेलगाड़ी द्वारा परिवहन पर व्यय तक सीमित निर्धारित दरें	निर्धारित दरें *

जब वाहन एक टुक पर लादकर भेजा जाता है

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच	रेल द्वारा नहीं जुड़े स्थानों के बीच
निर्धारित दरों या रेल पर पैसंजर रेलगाड़ी द्वारा परिवहन पर व्यय तक सीमित वास्तविक व्यय, जो कोई भी कम हो	निर्धारित दरों तक सीमित वास्तविक व्यय *

* निर्धारित दरों से संबंधित परिवहन निदेशालय द्वारा आंशिक बिंदु पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा हेतु अधिसूचित दरें अभिप्रेत हैं जो टैक्सी हेतु अधिकतम 20/- रुपये और ऑटो रिक्शा हेतु अधिकतम 10/- रुपये के अध्यक्षीन हैं जैसा कि समय-समय पर निर्धारित/संशोधित किया जाए।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.09.2011 का पत्र सं. एफ(ई)I/2011/एएल-28/26)

(6) नियम 1643 (घ) (II) (क)

नियम 1643 (घ) (II) (क) के नीचे सारणी की मद सं. (ii) को हटा दिया जाए।

(7) नियम 1643 (घ) (II) (क) के नीचे टिप्पणी 1 को हटा दिया जाए।

(8) नियम 1643 (घ) (II) (ख)

नियम 1643 (घ) (II) (ख) की अंतिम लाइन में, "उसे बिना इस बात का ध्यान दिए कि उसने रेल सेवा में 01.05.76 को, उससे पहले अथवा उसके बाद में कार्यभार ग्रहण किया है" शब्दों को हटा दिया जाए।

(9) नियम 1643 (घ) (III) (iv) को हटा दिया जाए।

(10) नियम 1643 (घ) (IV) अग्रिम की मात्रा

नियम 1643 (घ) IV (i) एवं (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

"एक सेवारत रेल कर्मचारी को स्थानांतरण पर स्वीकार्य अग्रिम की मात्रा संयुक्त स्थानांतरण अनुदान की स्वीकार्य रकम का 75% है।"

(11) रेल मंत्रालय के निर्णयों के अंतर्गत नियम 1643 (घ) (V) के नीचे, वर्तमान निर्णय के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

"उन मामलों में जिनमें पति और पत्नी, दोनों सरकारी सेवा में हों और उसका पति/पत्नी के स्थानांतरण के 60 दिन के अंदर एक ही स्थान से एक ही स्थान को स्थानांतरण किया जाता है तो बाद में स्थानांतरित होने वाले पति/पत्नी को स्थानांतरण यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। जिन मामलों में स्थानांतरण छह माह के अंदर लेकिन पति/पत्नी के स्थानांतरण के 60 दिन बाद होता है, वहां बाद में स्थानांतरित होने वाले पति/पत्नी को स्थानांतरण पर स्थानांतरण अनुदान का पचास प्रतिशत स्वीकार्य होगा। अगर दोनों स्थानांतरण के आदेश 60 दिन के अंदर किए जाते हैं तो बाद में स्थानांतरित होने वाले पति/पत्नी को कोई स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। छह माह या उससे अधिक अवधि के बाद स्थानांतरण के मामले में वर्तमान प्रावधान लागू रहेंगे। स्वयं के अनुरोध पर अथवा लोक हित में स्थानांतरण से भिन्न स्थानांतरण के मामलों में लागू संयुक्त स्थानांतरण भत्ते संबंधी अन्य नियम उनके मामले में अपरिवर्तनीय रहेंगे।"

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 01.12.2008 का पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/15)

(12) नियम 1644(1) को हटा दिया जाए।

(13) नियम 1644 (2) और नियम 1644 (2) के नीचे टिप्पणी को हटा दिया जाए।

(14) नियम 1644 (3) में, "स्थानांतरण अनुदान और पैकिंग भत्ते" के स्थान पर "संयुक्त स्थानांतरण अनुदान" को प्रतिस्थापित किया जाए।

(15) नियम 1644 (4) को हटा दिया जाए।

(16) नियम 1645 I(ख) को हटा दिया जाए।

(17) नियम 1645-I-(ग) के नीचे टिप्पणी (i) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

टिप्पणी (i) जिस रेल सेवक का एक ही स्टेशन के अंदर या पुराने मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंदर किसी बाह्य स्टेशन पर स्थानांतरण किया गया है उसे एक माह के मूल वेतन के एक-तिहाई की दर से संयुक्त स्थानांतरण अनुदान दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानांतरण के परिणामस्वरूप निवास स्थान में परिवर्तन हुआ हो।

(18) नियम 1645 II (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

(ख) यदि स्थानांतरण के परिणामस्वरूप निवास स्थान में परिवर्तन हो और दोनो स्टेशनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हों तो पूर्ण स्थानांतरण यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा।

अनुभाग 21 - प्रशिक्षण क्रम संबंधी यात्राएं

नियम 1686 के वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

उन शिक्षुओं को (चाहे वे यांत्रिक प्रवर्ग के या अन्य प्रवर्गों के हों), जो अपने मुख्यालय पर निःशुल्क भोजन और आवास की रियायत पाते हैं, उस प्रवर्ग के, जिसके वे शिक्षु हैं, लागू यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा परन्तु यह तब जब उनसे ऐसी यात्राएं अपने प्रशिक्षण के भागरूप करने की अपेक्षा की जाती है और उनके लिए निःशुल्क भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.11.89 का पत्र सं. एफ(ई)I/89/एएल-28/8)
